एचईईपी-2020 के तहत अधसिूचति माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी मलिी

चर्चा में क्यों?

4 जुलाई, 2023 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई मंत्रमिंडल की बैठक में हरियाणा उद्यम और रोज़गार नीति (एचईईपी)-2020 के तहत अधसिूचति माल ढुलाई सहायता योजना में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई।

प्रमुख बदिु

- वदिति है कि राज्य के वभिन्नि औद्योगकि संघों और नरि्यातकों ने राज्य सरकार से सभी एमएसएमई के लयि योजना को संशोधति करने और नरि्यातकों को प्रेरति करने के लयि ब्लॉक-वाइज कैंपगि की समीक्षा करने का अनुरोध कयिा था।
- नए संशोधनों के अनुसार, वैश्वकि बाज़ार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के नरि्यात को प्रतस्पिर्धी बनाने के लयि अन्य गैर-वत्तिीय प्रोत्साहनों सहति इकाई के परसिर से बंदरगाह/एयर कार्गो/अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक परविहन लागत की अदायगी के लयि माल ढुलाई सब्सडिी के रूप में 25 लाख रुपए प्रदान कयि जाएंगे।
- वनिर्िमाण स्थल से बंदरगाह/एयर कार्गो/सडक मार्ग से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक माल की ढुलाई पर सरकारी शुल्क और करों को छोडकर, फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य या वास्तवकि माल ढुलाई के 1 प्रतशित की सीमा तक माल ढुलाई सहायता, जो भी कम हो, जेडईडी प्रमाणन के स्तर के आधार पर सुनश्चिति की जाएगी।
- थ्रस्ट सेक्टर (एचईईपी के तहत अधसिूचति) के लयि, 'सी'और 'डी'श्रेणी ब्लॉक में स्थति थ्रस्ट सेक्टर में लगे नरि्माता नरि्यातक को अधकितम 25 लाख रुपए और थ्रस्ट सेक्टर 'ए' और 'बी'श्रेणी के ब्लॉक में लगे नरि्माता नरि्यातक को 15 लाख रुपए तक की सब्सडिी सुनश्चिति की जाएगी।
- अन्य सभी पात्र नरि्माता नरि्यातक इकाइयों (नॉन-थ्रस्ट सेक्टर) के लयि, 'सी'और 'डी' श्रेणी ब्लॉक में स्थति नरि्माता नरि्यातक को अधकितम 20 लाख रुपए तथा 'ए'और 'बी' श्रेणी ब्लॉक में स्थति नरि्माता नरि्यातक को 10 लाख रुपए तक की सब्सडिी सुनश्चिति की जाएगी।
- नई संशोधन नीति में वनिर्िमाण स्थल से बंदरगाह/एयर कार्गो/सड़क मार्ग से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक ढुलाई हेतु जेडईडी गोल्ड सर्टफिाइड इकाइयों के लयि शत-प्रतशित सब्सडिी, जेडईडी सलि्वर सर्टफिाइड इकाइयों के लयि 75 प्रतशित और जेडईडी काँस्य सर्टफिाइड इकाइयों के लयि फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य या वास्तवकि माल ढुलाई के 1 प्रतशित में से सरकारी शुल्क और करों को छोड़कर, 33 प्रतशित सब्सडिी सुनश्चिति की जाएगी।
- संशोधन के अनुसार, सभी पात्र इकाइयों के आवेदन वत्तिीय वर्ष की समाप्ति की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर वभिाग के वेब पोर्टल पर जमा करवाए जाएंगे और 10 लाख रुपए से अधकि की माल ढुलाई सब्सडिी की मंजूरी देने के लयि महानदिेशक/नदिेशक, एमएसएमई सक्षम प्राधकिारी होंगे।
- मंत्रमिंडल द्वारा योजना की शुरुआत और लागू होने की प्रभावी तथि में बदलाव के साथ एजेंडे को स्वीकृति दी गई।
- योजना की लागू होने की प्रभावी तथि 1 जुलाई, 2023 होगी जसिका अर्थ है कि वास्तवकि नरि्यात 1 जुलाई, 2023 को या उसके बाद कयिा जाना चाहयि, यह उठान के बलि के आधार पर नरि्धारति कयिा जाएगा।
- ध्यातव्य हो कि यह नीति राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए का नविेश आकर्षति करने और 5 लाख नौकरयिाँ पैदा करने के उद्देश्य से अधसिूचति की गई थी।
- हरियाणा उद्यम और रोज़गार नीति (एचईईपी), 2020, औद्योगकि प्रतस्पिर्धात्मकता, संतुलति क्षेत्रीय वकिास, नरि्यात, नवाचार और उद्यमति और मजबूत औद्योगकि बुनयिादी ढाँचे को बढ़ावा देने के लयि राज्य के समग्र सामाजकि-आर्थकि वकिास के लयि पाँच स्तंभों की पहचान करती है।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/approval-to-amend-the-freight-assistance-scheme-notified-under-heep-2020